भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1162
सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

रोजगार सृजन संबंधी आंकड़े

1162. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास गत छह महीनों के दौरान रोजगार सृजन के बारे में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो रोजगार सृजन में विभिन्न क्षेत्रों में कितनी गिरावट या वृद्धि हुई है;

(ग) क्या निगरानी अर्थव्यवस्था केंद्र (सीएमआईई) के अनुसार मई-अगस्त में 2.5 मिलियन से अधिक लोगों को विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में नियोजित किया गया था जबकि कपड़ा, ऑटो क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई;

(घ) क्या वृद्धि केवल कम कुशल नौकरियों में थी; और

(ङ) यदि हां, तो मंदी का सामना कर रहे क्षेत्रों में नौकरी के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणाम के अनुसार, देश में प्रमुख क्षेत्रों में सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) के आधार पर अनुमानित कार्यबल नीचे दिया गया हैः

	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा अनुमानित कार्यबल		
क्षेत्र	2009-10 (एनएसएस 66वां दौर)	2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)	2017-18* (पीएफएलएस)
प्राथमकि	53.15%	48.9%	44.1%
द्वितीयक	21.48%	24.3%	24.8%
तृतीयक	25.37%	26.8%	31.1%

(टिप्पणी: * तुलनीयता के लिए, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है जिसके साथ सर्वेक्षण पद्धति और नमूना चयन को डिजाइन किया गया है)

भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र एक निजी संस्थान हैं तथा सरकार उनके द्वारा अपनाए गए सर्वेक्षण डिजाइन तथा कार्य पद्धति से अवगत नहीं है।

सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

	सृजित रोजगार		
योजनाएं/वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	387184	587416	211840 (31.10.19 तक)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (करोड़ में)	233.74	268.00	15436.06 (04.11.2019 तक)
डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित अभ्यर्थी (व्यक्तियों की संख्या)	75787	135666	91830 (04.11.2019 तक)
डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियोजन (कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या)	115416	163377	527473 (18.06.2019 तक)

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार, ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थी इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से 3 सालों तक लाभ प्राप्त करेंगे।

*****